



2026: AHC: 55240

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या -10806/2026

विजय कुमारआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यविपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: पुनीत श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता), राजेश शर्मा

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत श्रीवास्तव उपस्थित हुए और तर्क दिया कि पीड़िता के भाई द्वारा अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया है। वर्तमान में अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता का एक बच्चा भी है। विचारण (ट्रायल) जारी है और सभी साक्ष्य उनके पक्ष में हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान भी अभियुक्त/आवेदक के पक्ष में था, इसके बावजूद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने सूचित किया कि अभियुक्त/आवेदक, पीड़िता और मुखबिर के बीच समझौता हो गया है। अतः, वह इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
2. विपक्षी संख्या 2 और 3 (मुखबिर और पीड़िता) के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा उपस्थित हुए और उन्होंने विवाह के तथ्य तथा पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) ने कहा कि यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) जाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने मफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2022) 6 एससीसी 589 के मामले में अभियुक्त और पीड़िता के विवाह को ध्यान में रखते हुए धारा 363, 366 आईपीसी के तहत प्राथमिकी और परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
5. यहाँ तक कि पॉक्सो अधिनियम के मामलों में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने के. दंडपाणि बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा (2022 एससीसी आनलाइन एससी 1056) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्त और पीड़िता अपने वैवाहिक जीवन में खुशी-खुशी रह रहे हैं और यह माना कि "यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आँखें नहीं मूंद सकता और अपीलकर्ता तथा पीड़िता के सुखी पारिवारिक जीवन को बिगाड़ नहीं सकता।"
6. यह पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त और पीड़िता विवाहित हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों को उपरोक्त निर्णय के आलोक में देखा जाना चाहिए।
7. क्या पक्षों (मुखबिर, पीड़िता और अभियुक्त) के बीच समझौता हुआ है, इसका सबसे अच्छा निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार, पक्षकार तीस दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और पक्षों के बीच हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल प्रति को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।
8. विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि मुखबिर, पीड़िता और अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता न हों और उसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। आपात स्थिति में, विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
9. साठ दिनों की अवधि के लिए, मुकदमा अपराध संख्या 143/2023 से उत्पन्न वाद संख्या 2220/2023 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार), धारा 363, 366, 376 आईपीसी और धारा 3/4

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पॉक्सो एक्ट, थाना अतरौली, जिला अलीगढ़ की कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी, यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझौता दाखिल और सत्यापित किया जाता है, अन्यथा विचारण न्यायालय ट्रायल जारी रखेगा।

10. सभी पक्षकार, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसे सत्यापित करवाते हैं, वे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।

11. उपरोक्त के आलोक में, धारा 528 बीएनएसएस/482 द.प्र.स. के तहत आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

18 मार्च, 2026

अभिषेक श्री.

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।